राज्यपाल सचिवालय
राजभवन,जयपुर

क्रमांकः प.19(1)राभ/स्टोर/टैन्ट/2024/1335 दिनांकः 5 मार्च,2024

ई-बोली आमन्त्रण सूचना -17/2023-24

राजभवन जयपुर में टैन्ट एंव संबंधित अन्य व्यवस्था किराये पर प्रदाय हेतू ई-बोली आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 05.03.2024 को सांय 6.00 बजे से राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक ऑनलाईन http://eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	बोली प्रतिभूति राशि रूपये	बोली दस्तावेज राशि रूपये	ई-बोली प्रोसेसिंग शुल्क (रूपये)	ई-बोली दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की दिनांक एवं समय	ई-बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	ई-बोली (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) खोलने की दिनांक एवं समय
1	राजभवन जयपुर में टैन्ट एवं संबंधित अन्य व्यवस्था किराये पर उपलब्ध कराने बाबत।	30.00 लाख	60,000/-	500/-	500/-	दिनांक 05.03.2024 को सांय 6.00 बजे	दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे	दिनांक 14.03.2024 दोपहर 3.00 बजे

1. ई-बोली आमंत्रण सूचना,विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
2. ई-बोली केवल http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही स्वीकार की जायेगी।वित्तीय बोली के लिए ई-प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू.(BOQ) में ही राशि का अंकन किया जाना है।
3. ई-बोली प्रतिभूति राशि एवं ई-बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "वित्तीय सलाहकार,राज्यपाल सचिवालय, जयपुर" के नाम तथा ई-बोली प्रोससिंग फीस राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "M.D.RISL." जयपुर के पक्ष में बनाना होगा।
4. **ई-बोली प्रतिभूति राशि, ई-बोली प्रपत्र शुल्क एवं ई-बोली प्रोसेसिंग फीस का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक राजभवन में उपस्थित होकर भौतिक रूप से जमा कराने होंगे।**
5. ई-बोली (तकनीकी वाणिज्यिक/क्वालिफाईड बिड)दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाता /संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
6. तकनीकी बोली परिशिष्ट 'अ' मे भरी जाकर वांछित दस्तावेजों के साथ स्केन कर http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।वित्तीय बोली परिशिष्ट 'ब' (BOQ) में पृथक-पथक भर कर http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी।

5/3/2024
(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
राज्यपाल सचिवालय

क्रमांकः प.19(1)राभ/स्टोर/टैन्ट/2024/1336 दिनांक मार्च,2024

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
2. कंट्रोलर,राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (IT),राजभवन जयपुर को निविदा सूचना दस्तावेज को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in राज्य सरकार के स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in तथा http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
4. अतिरिक्त निदेशक,सूचना एवं जन सम्पर्क (प्रकोष्ठ),राज्यपाल सचिवालय को निदेशालय जन सम्पर्क विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रकाशन कराने हेतु।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष,राज्यपाल सचिवालय को ई-बोली सूचना विज्ञापन के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र की कटिंग कर लेखा शाखा में भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।

5/3/2024
वित्तीय सलाहकार,
राज्यपाल सचिवालय

परिशिष्ट (अ)

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

तकनीकी ई–बोली प्रपत्र

कार्य का नामः–राजभवन जयपुर में टैन्ट एंव अन्य संबंधित व्यवस्था किराये पर प्रदाय हेतु तकनीकी ई–बोलीः–

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....
2. डाक का पता ....
3. फोन/मोबाईल नंबर :– ....
4. ई–मेल आईडी ....
5. बैंक का नाम ....
   IFSC Code ....
   खाता संख्या ....
6. हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रं सं	विवरण	संलग्न हॉ/नहीं	संलग्नक क्रमांक
1.	बोली दस्तावेज शुल्क राशि रु. 500/–बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक		
2.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि रु. 500/–बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक.......................		
3.	बोली प्रतिभूति शुल्क राशि रु. 60,000/–बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट संख्या ....दिनांक.......................		
4.	माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति		
5.	आयकर स्थाई खाता सं. (PAN) की प्रति		
6.	संस्थान के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।		
7.	प्रदाय की जाने वाली सामग्री के व्यवसाय हेतु संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न हैं या नहीं		
8.	गत दो वित्तीय वर्षो में अपेक्षित टर्न ऑवर के संबंध में वार्षिक टर्न–ऑवर रू.50.00 लाख के प्रमाण स्वरूप अंकेक्षित लेखों/दस्तावेजों की स्वप्रमाणित एंव CA द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियॉ संलग्न करनी होगी।		
9.	फर्म को टैन्ट कार्य का पांच वर्ष का अनुभव का स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।		

नोटः–

1. परिशिष्ट ''अ'' तकनीकी बिड है। तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ'' ''स'' एवं ''द'' एवं अनुलग्नक ''अ'' ''ब'' ''स'' ''द'' में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर उपरान्त ई–बोली के साथ स्कैन कर अपलोड करना होगा।
2. परिशिष्ट ''ब'' वित्तीय बोली है जिसे ई–बोली के साथ निर्धारित BOQ में ऑनलाईन भरा जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

कन्ट्रोलर | **मुख्य लेखाधिकारी** | **उप सचिव द्वितीय**

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

वित्तीय ई–बोली प्रपत्र

कं. सं.	सामान का विवरण	दर प्रतिदिन / प्रति वर्ग फिट / प्रति नग	दरें
1.	ट्रस वाटर प्रुफ महफिल बहली सफेद(सब सामान सहित) ऊॅचाई 12′	प्रति वर्ग फिट	
2.	ट्रस सादा महफिल बहली सफेद(सब सामान सहित) ऊॅचाई 12′	प्रति वर्ग फिट	
3.	ट्रस वाटर प्रुफ महफिल बहली सफेद(सब सामान सहित) ऊॅचाई 13′-19′	प्रति वर्ग फिट	
4.	ट्रस सादा महफिल बहली सफेद(सब सामान सहित) ऊॅचाई 13′-19′	प्रति वर्ग फिट	
5.	डोम (सब सामान सहित)	प्रति वर्ग फिट	
6.	महफिल बहली सफेद सभी सामान सहित ऊॅचाई 12′ (पोल कवर,झालर,पर्दे आदि सहित)	प्रति वर्ग फिट	
7.	महफिल बहली सफेद वाटर प्रुफ सभी सामान सहित ऊॅचाई 12′ (पोल कवर,झालर,पर्दे आदि सहित)	प्रति वर्ग फिट	
8.	बंगाली स्ट्रक्चर मय वाटर प्रुफ महफिल बहली सफेद,बांस–बल्ली स्ट्रक्चर (पोल कवर,झालर पर्दे आदि सहित) ऊॅचाई 12′	प्रति वर्ग फिट	
9.	बंगाली स्ट्रक्चर मय वाटर प्रुफ महफिल बहली सफेद,आयरन स्ट्रक्चर (पोल कवर,झालर,पर्दे आदि सहित) ऊॅचाई 12′	प्रति वर्ग फिट	
10.	महफिल बहली सफेद सभी सामान सहित ऊॅचाई 13′-19′ (पोल कवर,झालर,पर्दे आदि सहित)	प्रति वर्ग फिट	
11.	महफिल बहली सफेद वाटर प्रुफ सभी सामान सहित ऊॅचाई 13′-19′ (पोल कवर,झालर,पर्दे आदि सहित)	प्रति वर्ग फिट	
12.	बंगाली स्ट्रक्चर मय वाटर प्रुफ महफिल बहली सफेद,बांस–बल्ली स्ट्रक्चर (पोल कवर,झालर पर्दे आदि सहित) ऊॅचाई 13′-19′	प्रति वर्ग फिट	
13.	बंगाली स्ट्रक्चर मय वाटर प्रुफ महफिल बहली सफेद,आयरन स्ट्रक्चर (पोल कवर,झालर,पर्दे आदि सहित) ऊॅचाई 13′-19′	प्रति वर्ग फिट	
14.	कैनोपी वाटर प्रुफ (पोल कवर,झालर आदि सहित)	प्रति वर्ग फिट	
15.	ट्रस हेतु पैनल वॉल (पर्दे की)	प्रति वर्ग फिट	
16.	पर्दे सफेद अथवा अन्य आदेशित कलर के	प्रति वर्ग फिट	
17.	झालर साटन	प्रति वर्ग फिट	
18.	वूलन गलीचा / कारपेट	प्रति वर्ग फिट	
19.	मैटिंग (रेड एंव ग्रीन)	प्रति वर्ग फिट	
20.	तिरपाल	प्रति वर्ग फिट	
21.	बेरिकेटिंग कार्य	प्रति वर्ग फिट	
22.	स्पेशल गुब्बा फील (फेसिया)	प्रति वर्ग फिट	
23.	आयरन फ्रेम स्टेज प्लाई बोर्ड मय सीढी ऊॅचाई 1.5′	प्रति वर्ग फिट	
24.	आयरन फ्रेम स्टेज प्लाई बोर्ड मय सीढी ऊॅचाई 2.5′	प्रति वर्ग फिट	
25.	आयरन फ्रेम स्टेज प्लाई बोर्ड मय सीढी ऊॅचाई 4′	प्रति वर्ग फिट	
26.	स्टेज रैम्प प्लाई बोर्ड	प्रति वर्ग फिट	
27.	पैनल वॉल (प्लाई)	प्रति वर्ग फिट	
28.	कुर्सी–प्लास्टिक	प्रति नग	
29.	कुर्सी–पेडेड (वेलवेट) मय सफेद अथवा अन्य आदेशित कलर के कवर	प्रति नग	
30.	राउण्ड टेबिल मय नेफरॉन कवर 6′x 6′ फीट व्यास	प्रति नग	
31.	मेज 6′ x 1.5′	प्रति नग	

32.	दरी 8′ x 10′	प्रति नग	
33.	टेबिल कवर 6′ x 3′	प्रति नग	
34.	चद्दर सफेद अथवा अन्य आदेशित कलर के 8′ x 10′	प्रति नग	
35.	चद्दर सफेद–पलंग साईज	प्रति नग	
36.	फोल्डिंग निवार पलंग लोहे का सिंगल 6′ x 3′	प्रति नग	
37.	गद्दे पलंग साईज सिंगल 6′ x 3′ (डनलप वाले)	प्रति नग	
38.	गद्दे पलंग साईज सिंगल 6′ x 3′ (रुई वाले)	प्रति नग	
39.	तकिया मय कवर	प्रति नग	
40.	रजाई मय कवर सिंगल	प्रति नग	
41.	कनात 8′ x 15′	प्रति नग	
42.	सोफा सेट हत्थेदार VIP लेदर 2 सीटर	प्रति नग	
43.	सोफा सेट हत्थेदार VIP लेदर 1 सीटर	प्रति नग	
44.	सोफा कवर्स 2 सीटर आदेशित कलर में	प्रति नग	
45.	सोफा कवर्स 1 सीट आदेशित कलर में	प्रति नग	
46.	सेंटर टेबल ग्लास टॉप	प्रति नग	
47.	क्यू मैनेजर स्टेंडर्ड गोलडन मय (चेन विद रेड कलोथ)	प्रति नग	
48.	आयरन फ्रेम तख्ता 6′ x 3′ x 1.5′	प्रति नग	
49.	अलाव मय स्टैण्ड	प्रति नग	
50.	लोहे की बड़ी सीढी मय रेलिंग	प्रति नग	
51.	पीतल दीपक पेडस्टल	प्रति नग	
52.	आयरन फ्रेम टेबिल 2′ x 6′	प्रति नग	
53.	केमीकल टॉयलेट	प्रति नग	
54.	बाजोट/चौकी	प्रति नग	
55.	यदि एक दिवस से अधिक के लिये उपरोक्त सामग्री उपयोग में ली जानी है तो प्रथम दिवस के पश्चात उपरोक्त दरों पर दी जाने वाली छूट का प्रतिशत	प्रतिशत %	
56.	GST की दरें यदि कोई हों	प्रतिशत %	

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

कन्ट्रोलर | **मुख्य लेखाधिकारी** | **उप सचिव द्वितीय**

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

ई–बोली की शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 जिसे आगे 'अधिनियम' एवं 'नियम' कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इससे संबंधित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को 'नियम' एवं 'अधिनियम' की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त 'अधिनियम''नियम' में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त 'अधिनियम' एवं 'नियम' के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. यह द्वि–प्रक्रमी बोली है,जिसमें तकनीकी बिड व वित्तीय बिड पृथक–पृथक प्रपत्रों में ऑन लाईन http://eproc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जानी है।निर्धारित बोली दस्तावेज शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय,जयपुर के पक्ष में देय पृथक–पृथक बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में राजभवन में भौतिक रूप से दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक जमा करानी होगी।
3. **प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 500/–Managing Director R.I.S.L. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में पृथक से जमा करानी होगी। निर्धारित बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग–अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑनलाईन बोली के साथ स्केन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक राजभवन कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली शुल्क,बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे।निर्धारित बोली शुल्क,बोली प्रतिभूति राशि,प्रोसेसिंग फीस के अभाव में तकनीकी बिड नहीं खोली जावेगी। बोली दस्तावेज शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।**
4. उपापन समिति द्वारा तकनीकी बिड परीक्षण के पश्चात योग्य पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बिड खोलने की तारीख व समय से पृथक से अवगत करा दिया जावेगा। निर्धारित समय पर उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष वित्तीय बिड खोली जावेगी।
5. जो बोलीदाता ई–बोली (e-Bid) में भाग लेना चाहते है,सर्वप्रथम उन्हे वैबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑनलाईन बोली में भाग लेना चाहते है,उन्हे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T. Act 2000) के तहत डिजीटल साइन सर्टिफिकेट (Type II & Type III) लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल साइन सर्टिफिकेट बनवा सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल साइन सर्टिफिकेट उपलब्ध है,उन्हें पुनः डिजीटल साइन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते है वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑन लाईन इलैक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक 14.03.2024 को दोपहर 1:00 बजे तक बोली प्रस्तुत कर सकते है।
7. बोलीदाता राजभवन में निर्देशानुसार समय–समय पर निर्धारित स्थानों पर टैन्ट एवं अन्य सामग्री तथा उपकरणों की व्यवस्था करवायेगा।
8. संवेदक को अपने स्तर पर सर्टिफिकेट देना होगा की मेरे द्वारा लगाया गया टैन्ट पुर्णतया सुरक्षित है तथा मैंनें टैन्ट व्यवस्था के दौरान Structrual Saftey के लिए आवश्यक Precautation को ध्यान में रखते हुये इसका निर्णण किया है।
9. संवेदक द्वारा टैन्ट का जो भी सामान लगाया जायेगा वह राजभवन की प्रतिष्ठता को देखते हुए यथा संभव नया लगाया जावेगा एवं पुराना लगाये जाने पर वह अधिकतम एक वर्ष से ज्यादा पुराना नही होग।
10. राजभवन में अति विशिष्ट प्रकृति के कार्यक्रम होते है अतः टैन्ट एवं अन्य संबंधित सामग्री की व्यवस्था करवायेगा।
11. बोली की दरों की इकाई प्रतिवर्ग फिट/प्रति रनिंग फिट/प्रति आईटम/प्रति नग/प्रतिदिन आदि स्पष्ट लिखी जावे।
12. इच्छुक बोलीदाता को तकनीकी बिड के साथ माल एंव सेवाकर पंजीयन,संस्थान का आवश्यक पंजीयन,प्रदाय की जाने वाली सामग्री के व्यवसाय हेतू सम्बधित विभाग से पंजीयन,आयकर स्थाई खाता सम्बंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां एवं गत दो वर्ष 2021–22,2022–23 मे राशि रू.50.00 लाख (अक्षरे रूपये पचास लाख मात्र) का टर्न ओवर होने सम्बंधी अंकेक्षित लेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करनी होगी।
13. यदि कोई बोलीदाता कार्य करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपह्रत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
14. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कम्पनी एक्ट 1956 के अंतर्गत या अन्य सरकारी संस्थान से पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
16. विस्तृत शर्तो के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट"अ""ब""स""द"एवं अनुलग्नक"अ""ब""स""द"का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके बोली में भाग ले सकते है।उक्त मुख्य शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट"अ""ब""स""द"तथा अनुलग्नक"अ""ब""स" "द"में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।सभी विभागीय बोली शर्तो की स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट"द"एवं अनुलग्नक"अ""ब""स""द"हस्ताक्षर उपरान्त तकनीकी बोली के साथ संलग्न करने होगें।इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जायेगी और बोली में उसके आगे के चरण Stages को नहीं खोला जावेगा।
17. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
18. वित्तीय सलाहकार,राज्यपाल सचिवालय,राजस्थान किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेगें।
19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी सचिव,राज्यपाल महोदय,राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव,मंत्रिमण्डल सचिवालय,राजस्थान जयपुर होगे।

20. दरें निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'ब' में ऑनलाईन देनी होंगी। इस कार्य की अवधि एवं मूल्य राशि अनुबन्ध दिनांक से एक वर्ष होगी। जिसे विशेष परिस्थितियों में आपसी सहमति से RTPP Rules - 2013 के प्रावधानुसार बढाई जा सकेगी।
21. सफल बोलीदाता की दरें अनुमोदित होने के बाद निर्धारित प्रारूप में राशि रू.1000/—के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
22. यदि अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो बोली तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
23. संवेदक संविदा को या उसके किसी भाग को अन्य किसी संवेदक/संस्था को नहीं देगा अर्थात सबलेट नहीं करेगा।
24. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकता है।
25. संविदा संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर,राज्यपाल हाउसहोल्ड,राजभवन जयपुर के नाम करना होगा।संविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
26. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/संवेदक से अनुमोदित संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
27. संवेदक को आदेश मिलने के बाद कार्य आरम्भ करना होगा।यदि आदेश मिलने के सात दिवस में कार्य आरम्भ नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं संविदा रद्द कर दी जावेगी।
28. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिक आपराधिक प्रवृत्ती के नही हों,चाल—चलन व चरित्र सही हो एवं यदि संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिक कार्य करने के दौरान विभाग की चल—अचल संपति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी वसूली संवेदक से की जावेगी। संवेदक द्वारा बाल श्रमिकों से कार्य नहीं करवाया जायेगा।
29. उक्त संविदा के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो सचिव,राज्यपाल राजस्थान,जयपुर का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
30. तकनीकी—वाणिज्यिक बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से,दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में टैन्ट संबंधित एवं अन्य व्यवस्थाओं का सामान उपलब्ध करवाना होगा। न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
31. फर्म/फर्म मालिक यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा इनके किसी विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा एक से अधिक बार कार्य को अधूरा छोडने अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करने पर शास्ति लगायी जा कर वसूल की गई हो अथवा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
32. नियमानुसार कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि वित्तीय सलाहकार,राज्यपाल सचिवालय,राजभवन जयपुर के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:—
   (क)" ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
   (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
   (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो।बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
   (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटीयॉं। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
33. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद,जो भी बाद में हो,तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है,निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
   (क) एक समय पर खरीद के गामले में क्य आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो,से एक माह के भीतर ।
   (ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर(Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति,जो बाद में हो,के दो माह के भीतर।
34. कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण(Forfeiture of Bid Security Deposit):—बोलीदाता द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो या बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो तो कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगा।
35. संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के चाल—चलन एवं चरित्र को पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
36. संवेदक द्वारा लगाये गये कार्मिक कार्य के दौरान सचिवालय परिसर में मादक पदार्थो का उपयोग नहीं करेंगे ऐसा पाये जाने की दशा में जो भी उचित हो वह कार्यवाही की जावेगी।
37. अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को संविदा कीमत से कम कीमत पर सफाई कर्मी/पर्यवेक्षक उपलब्ध करवाने के लिये उनकी कीमत कोट करता है तो उस संविदा के अधीन सफाई कर्मी/पर्यवेक्षक,कीमत करने या कोट करने की तारिख से स्वतः कम हो जायेगी और संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
38. मुल्यांकन की कसौटी—तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा प्रस्तुत टैन्ट संबंधित दरों के आधार पर न्यूनतम कीमत पर वित्तीय बोली का मुल्यांकन किया जावेगा।
39. बिना प्रतिफल के बोली मान्य नहीं होगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन

कन्ट्रोलर | मुख्य लेखाधिकारी | उप सचिव द्वितीय

परिशिष्ट "द"

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

ई–बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ई–बोली आमंत्रण की समस्त जानकारी/शर्तों को मैने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित कराते हैं कि हमारे द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित टैंन्ट संबंधी सामान उपलब्ध है। अधिनियम की धारा–46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं किया है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स,द एवं तथा बोली आमंत्रण को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन

कन्ट्रोलर | **मुख्य लेखाधिकारी** | **उप सचिव द्वितीय**

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन

कन्ट्रोलर | मुख्य लेखाधिकारी | उप सचिव द्वितीय

अनुलग्नक 'ब'

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन

कन्ट्रोलर

मुख्य लेखाधिकारी

उप सचिव द्वितीय

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action,omission, as the case may be,clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन

कन्ट्रोलर | मुख्य लेखाधिकारी | उप सचिव द्वितीय

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the init price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtracts, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contact, the quantity of Goods, works or services originally Specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twin's present, of the quality specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit priese or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure and subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value go Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier Fails to do so, Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very. large and it may not be In the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates or the Bidder, whose Bid is accepted.

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन

कन्ट्रोलर | मुख्य लेखाधिकारी | उप सचिव द्वितीय

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No………..of…………..

Before the ………………………………..(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appeallant :
   (i) Name of the appeallant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggried :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………(Supported by an affidavit)

7. Prayer
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………

Place ………………………………………

Date …………………………………

Appellant's Signature

कन्ट्रोलर

मुख्य लेखाधिकारी

उप सचिव द्वितीय

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक.........माह........सन् 2024 को एक पक्ष के...........(जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।
2. अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के............को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्न में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
3. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रूपये............................की राशि ....
   a. "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";
   b. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
   c. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
   d. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेंगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।
   e. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (FDR) बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:
   (1) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ....के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता.........और उसके आदेश में तथा बोली एवं संविदा की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।
   (2) ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्या..........दिनांक............से संलग्न ई–बोली हेतु बोली एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।
   (3) बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक....................तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या................भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
   (4) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार ECS के माध्यम से अनुमादित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

   (क) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम ECS की विधि से होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण हैः–
   (i) बैंक का नाम एवं पता :– ....
   (ii) बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :– ....
   (iii) बैंक खाता संख्या :– ....
   (iv) बैंक IFSC कोड नं :– ....

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि कें भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी:–

क्रम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

6. (1) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:–
   (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
   (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%
   (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%
   (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

   (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।
7. ई–बोली संख्या...............दिनांक................में वर्णित शर्ते करार पत्र का हिस्सा होंगी।

टिप्पणीः

(I) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
(II) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(III) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदा अन्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

8. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश में अंकित कार्य प्रारम्भ की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति अनुसार से उक्त अवधि एवं राशि को बढाया भी जा सकता है।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक..........................सन् 2024 को अपने हस्ताक्षर किए ।

कन्ट्रोलर **मुख्य लेखाधिकारी** **उप सचिव द्वितीय**